संख्या-77/2026/185 के-2/22-3-2025-17(336)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 20 मार्च, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बन्टी शर्मा पुत्र श्री विक्रम शर्मा, निवासी जनपद-औरैया की नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-4040/प्रो0अनु0(2)-286/2025 (बैठक दिनांक 21.01.2025) दिनांक-30.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बन्टी शर्मा (बंदी सं0-26616) पुत्र श्री विक्रम शर्मा, जो-मोहल्ला ब्रहम्नगर, थाना-कोतवाली औरैया, जनपद-औरैया का निवासी है। प्रथम घटना-दिनांक 08.02.2010 को जान से मारने की नियत से अभियुक्त ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर हरिनारायन उर्फ पप्पू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय घटना-दिनांक 26/27.04.2008 को पैसों के बंटवारे को लेकर हुए विवाद के कारण अभियुक्त द्वारा अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आग्नेयास्त्र से शिव सिंह नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु (1) बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-173, 132/2010 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 एवं 25 ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-02, औरैया के आदेश दिनांक 25-08-2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-280/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302, 404 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश औरैया के आदेश दिनांक 01-06-2018 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 12.01.2025 तक प्रथम वाद में बन्दी द्वारा 14 वर्ष, 11 माह, 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 09 दिन की सपरिहार सजा तथा द्वितीय वाद में 07 वर्ष, 11 माह, 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 09 वर्ष, 11 माह, 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 47 वर्ष, 09 माह है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा गंभीर अपराध कारति करने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्व करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सलाहकार समिति द्वारा प्रकरण का गहनता से परिशीलन करने पर पाया गया कि प्रथम घटना-दिनांक 08.02.2010 को जान से मारने की नियत से अभियुक्त ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर हरिनारायन उर्फ पप्पू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय घटना-दिनांक 26/27.04.2008 को पैसों के बंटवारे को लेकर हुए विवाद के कारण अभियुक्त द्वारा अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आग्नेयास्त्र से शिव सिंह नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कारित की गयी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-432 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बन्टी शर्मा पुत्र श्री विक्रम शर्मा को उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बन्टी शर्मा (बन्दी संख्या-26616) पुत्र श्री विक्रम शर्मा, निवासी जनपद-औरैया को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-473 (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-432) सपठित उ0प्र0 जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, औरैया।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-**2**, उ0प्र0 शासन।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in